



2026:AHC:171574

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27590 वर्ष 2026

सूरजदीन पल उर्फ रज्जू

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राज कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह ने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से अपना अधिकार पत्र दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- आवेदक के अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मिश्रा, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I डॉ. एस.बी. मौर्य की दलीलें सुनी गईं।
- यह जमानत याचिका आवेदक को केस क्राइम नंबर 109/2026, धारा 70(2), 351(3), 352 बीएनएस, धारा 5(जी)/6 पोक्सो अधिनियम और धारा 3(2)5 एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन मऊ, जिला चित्रकूट में मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोप के अनुसार, आवेदक ने सह-आरोपी नंदू के साथ मिलकर 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ बलात्कार किया, और इसलिए, अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह सामूहिक बलात्कार का मामला है, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों से यह स्पष्ट है कि उसके अनुसार बलात्कार 14.01.2026 को हुआ था और उसने पहली बार इस तथ्य का खुलासा अपने पिता को 08.02.2026 को किया था और उसके बाद धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत 23.02.2026 को दायर एक आवेदन के माध्यम से वर्तमान मामले की एफआईआर 13.04.2026 को दर्ज की गई थी और इसलिए प्रथम दृष्टया वर्तमान मामले की एफआईआर में अत्यधिक देरी हुई है और यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बलात्कार का आरोप पूरी तरह से झूठा है।
- उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में मुखबिर ने आवेदक और सह-आरोपी नंदू से 1,20,000 रुपये लिए थे और जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो उसने पैसा लौटाने के बजाय इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई और यह तथ्य कि मुखबिर ने आवेदक और सह-आरोपी नंदू से 1,20,000 रुपये लिए थे, एफआईआर से ही स्पष्ट है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 06.06.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला है और आरोप के अनुसार 14.01.2026 को आवेदक और सह-आरोपी नंदू ने 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि पीड़िता ने तुरंत बाद कोई शिकायत नहीं की और पहली बार 08.02.2026 को यानी तीन सप्ताह बाद उसने इस तथ्य का खुलासा शिकायतकर्ता के सामने किया।
9. वे इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि मुखबिर ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं कराई और वर्तमान मामले की एफआईआर 13.04.2026 को धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत एक आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई थी और धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत आवेदन भी 23.02.2026 को दायर किया गया था।
10. वे इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सके कि एफआईआर से यह पता चलता है कि मामले के मुखबिर ने आवेदक और सह-आरोपी नंदू से 1,20,000 रुपये लिए थे और इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद लंबित था।
11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया।
12. हालांकि, यह सामूहिक बलात्कार का मामला है और आरोप के अनुसार 14.01.2026 को आवेदक ने सह-आरोपी नंदू के साथ मिलकर पीड़िता का बलात्कार किया, जिसकी उम्र स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 16 वर्ष थी, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 14.01.2026 को हुई बलात्कार की घटना के संबंध में पीड़िता ने पहली बार अपने पिता को 08.02.2026 को यानी तीन सप्ताह बाद सूचित किया।
13. इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि वर्तमान मामले की एफआईआर 13.04.2026 को धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत एक आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई थी और धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत आवेदन भी 23.02.2026 को दायर किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया वर्तमान मामले की एफआईआर अत्यधिक विलंबित प्रतीत होती है।
14. इसके अलावा, शिकायतकर्ता के अनुसार, पीड़िता के पिता ने शिकायतकर्ता और सह-आरोपी नंदू से 1,20,000 रुपये लिए थे और जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने पैसे लौटाने के बजाय इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा 1,20,000 रुपये के संबंध में दिया गया तर्क एफआईआर से ही स्पष्ट है और इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता के बीच 1,20,000 रुपये को लेकर विवाद लंबित था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि केवल उपरोक्त विवाद के कारण कई महीनों बाद सामूहिक बलात्कार के झूठे आरोप के आधार पर शिकायतकर्ता और सह-आरोपी नंदू को इस मामले में फंसाया गया है, इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
15. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 06.06.2026 से जेल में है।
16. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
17. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

18. आवेदक- सूरजदीन पाल उर्फ राजजू को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

19. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)